न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 20/2025(जी.सी.एम.एस.2025/295)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कर्म सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर। 1. अंग्रेज कौर पत्नी उजागर सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर।		1. जगदीप सिंह पुत्र जगसीर सिंह अंग्रेज कौर पत्नी उजागर सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर। 2. जशनदीप सिंह पुत्र जगसीर सिंह अंग्रेज कौर पत्नी उजागर सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर। 3. जसपाल कौर पत्नी जगसीर सिंह अंग्रेज कौर पत्नी उजागर सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर। 4. वकील सिंह पुत्र सरजीत सिंह अंग्रेज कौर पत्नी उजागर सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्रीकरणपुर। 5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:-03.07.2025

उपस्थितः1.श्री भगवान दास अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण

—निर्णय— दिनांक : 20.08.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 4 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 125/92 के मुरब्बा नम्बर 61, 62 की कुल 3.249 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व ग्राम 4 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 124/92 के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 2.910 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 61, 62 की कुल 3.249 हैक्टेयर भूमि में आने-जाने के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। चक 4 एस के मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 1/1 के उतर-पश्चिम कोना में 16-1/2X16-1/2 वर्गफीट भूमि में रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता है। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू. अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 1/1 के उतर-पश्चिम कोना में 16-1/2 X16-1/2 वर्गफीट भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी कर्म सिंह पुत्र उजागर सिंह को अपने खेत में आने-जाने के लिए रास्ता नहीं है। राजस्व ग्राम 4 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 1/1 के उतर-पश्चिम कोना में 16-1/2 X16-1/2 वर्गफीट भूमि का रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित होगा। प्रार्थीगण कर्म सिंह, अंग्रेज कौर व अप्रार्थीगण जगदीप सिंह, जशनदीप सिंह, जसपाल कौर, वकील सिंह की ओर से समझौता पत्र पेश किया। समझौतापत्र के अनुसार राजस्व ग्राम 4 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 1/1 के उतरी-पश्चिमी कोना में 16-1/2 X16-1/2 वर्गफीट भूमि का रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति एतराज नहीं है।

. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतापत्र के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 1/1 के उतरी-पश्चिमी कोना में 16-1/2 X16-1/2 वर्गफीट भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं0:- 01501226005
ईमेल-sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/636 दिनांक :- 20.08.2025

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 20/2025 अनवान कर्म सिंह आदि बनाम जगदीप सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 20.08.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 20.08.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 एस, पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 1/1 के उतरी-पश्चिमी कोना में 16-1/2 X16-1/2 वर्गफीट भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner